

कार्यालय: जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली।

कार्यालय आदेश

HJP/EDN 6993.....

श्री/श्रीमती मनोज कुमार जीवास्तव भूतपूर्व प्र०अ०/स०शि०
म०वि०/स०म०वि०/प्रा०वि० पौष्पिमा देवती पाषाण के चार्जक के सेवानिवृत्ति के
फलस्वरूप नियंत्री पदाधिकारी की अनुशाना के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4185 दिनांक
13.07.1985 संकल्प संख्या-2757 दिनांक 27.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3420 दिनांक 12.05.2006 के अनुसार
ग्रुप बीमा योजना में कुल जमा राशि 148,893.00 मात्र की स्वीकृति दी जाती है।

श्री/श्रीमती मनोज कुमार जीवास्तव की सेवा अवधि में बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी
अनिवार्य ग्रुप बीमा योजना में अंशदान इत्यादि निम्न प्रकार है:-

(क) अंशदान प्रारम्भ होने की तिथि सितम्बर 1991

(ख) सेवानिवृत्त होने की तिथि 30.06.2026

(ग) अनिवार्य ग्रुप बीमा सह वचन योजना में जमा राशि 6,320.00

अंशदान मार्च 98 तक एवं ब्याज की राशि 11,503.95.00 (एन 26) तक)

(घ) नई ग्रुप बीमा योजना 1997 के सहित देय राशि 27,534.00

(ङ) 3,000.00 रु० प्रतिमाह की दर से कुल जमा राशि 1,01,700.00 का 70% राशि 7/1/98

(च) अंशदान की राशि 7 रमजान 20415.00

(ज) कुल भुगतान राशि 148,893.00 (एक लाख四十八 हजार आठ सौ लेखने)

3. स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित वांछित जिला निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा करने के पश्चात्
इसका भुगतान वांछित तौर पर श्री/श्रीमती मनोज कुमार जीवास्तव को की जाएगी।

4. वह लेखा शीर्ष 8011 बीमा और पेंशन निधि में राज्य सरकार बीमा निधि (व्यय) के अंतर्गत विकल्पनीय है।

60
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना) वैशाली।

ज्ञापक 2470 / मि.म / हजीपुर दिनांक 18/6/26

प्रतिलिपि-वित्त विभाग ग्रुप बीमा प्रशाखा बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, H.R.M.S. शाखा चेकर,
नगर कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी (प्रारंभिक शाखा) संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं
संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18-6-26
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना) वैशाली।
18/6/26